

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :-2025/130

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... वादी

बनाम

हीराराम पुत्र गोपाराम जाति जाट निवासी बंगलानगर बीकानेर हाल चक 18 बीएलडी खाजूवाला

.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णय:

दिनांक:- 03.02.26

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 18 बीएलडी मु०न० 13/48 के किला न० 3 ता 7 में 1.2645 हैक्टर व मु०न० 13/56 के किला न० 1, 5 ता 10 में 1.3911 है० तथा मु०न० 13/64 के किला न० 1 ता 15 में 3.4143 हैक्टर इसप्रकार कुल 6.0699 हैक्टर भूमि हीराराम पुत्र गोपाराम जाति जाट निवासी बंगलानगर बीकानेर हाल चक 18 बीएलडी खाजूवाला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी चक 18 बीएलडी मु०न० 13/56 के किला न० 6 ता 8 में चिमनी बनी हुई है जो मौके पर चालू है। मु०न० 13/56 के किला न० 5, 6 में श्रमिकों के कमरे बने हुए हैं। मु०न० 13/64 के किला न० 1, 10 में ऑफिस व बाग है। मु०न० 13/64 के किला न० 3 ता 8, 13 ता 15 में लेबर हेतु कमरे, मिट्टी व ईंट थपाई का कार्य किया जा रहा है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मु०न० 13/56, 48 में 6326.45 वर्गफीट रकबा चुना भट्टी हेतु संपरिवर्तन है। लेकिन मौके पर ईंट भट्टा चालू है। शेष उपर वर्णित भूमि पर गैर कृषि कार्य किया जा रहा है। रकबे में ईंट भट्टा संचालन की अनुमति नहीं है। इसप्रकार खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी की खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि० डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी/राजपैरोकार ने वादपत्र कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुलन को स्वीकार किया गया था। पटवारी ने रिपोर्ट में चक 18 बीएलडी मु०न० 13/48 के किला न० 02 रकबा 0.2529 व मु०न० 13/56 के किला न० 6/1 में 0.1265 है०, 7/1 में 0.1265 है०, /1 में 0.1265 कुल रकबा 0.6324 हैक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ चुना भट्टी हेतु संपरिवर्तन है। शेष रकबा पर बिना कोई विधिक दस्तावेज/संपरिवर्तन अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त रिपोर्ट को बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अकृषि कार्य न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटन ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्तें 1955 लागू हैं। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रूप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरूर अकृषि कार्य होना दर्शाया है। भूमिधारक सरकारी कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार वादगत भूमि के चक 18 बीएलडी मु०न० 13/48 के किला न० 3 ता 7 रकबा 1.2645 है० व मु०न० 13/56 के किला न० 1, 5, 9, 10 रकबा 1.0116 है० व मु०न० 13/64 के किला न० 1 ता 15 रकबा 3.4143 है० में अकृषि कार्य उपयोग हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु उपयोग पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्तें 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 18 बीएलडी मु०न० 13/48 के किला न० 3 ता 7 रकबा 1.2645 है० व मु०न० 13/56 के किला न० 1, 5, 9, 10 रकबा 1.0116 है० व मु०न० 13/64 के किला न० 1 ता 15 रकबा 3.4143 है० कृषि भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

